		न प्राप्त कर लिया हो।
(ii)	आयु	दिनांक 01.07.2017 को न्यूनतम – 21 वर्ष दिनांक 01.07.2017 को अधिकतम –40 वर्ष (अधिकतम आयु सीमा का प्रतिबन्ध केवल ऐसे पदों के लिये लागू होगा जो वाह्य अभ्यर्थियों हेतु सीधी भर्ती कोटे के अन्तर्गत विद्युत सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित किये जायेंगे)
(iii)	चरित्र प्रमाण पत्र	(क) नियुक्ति प्राधिकारी का कर्तव्य होगा कि पुलिस के माध्यम से अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन करवा लें परन्तु किसी भी स्थिति में सत्यापन का कार्य परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद के लिये न छोड़ा जाये । सेवा के मध्य कभी भी पुलिस द्वारा अच्छे चरित्र के प्रतिकूल सूचित किया जाता है तो उसे निरन्तर सेवा में रहने की आज्ञा नहीं दी जायेगी तथा उसकी सेवायें बिना किसी नोटिस प्रतिकर अथवा वेतन के निरस्त कर दी जायेंगी। (ख) अभ्यर्थी को अन्तिम शिक्षा संस्थान/विश्वविद्यालय के प्रमुख द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (ग) अभ्यर्थी जिस क्षेत्र का निवासी है उस क्षेत्र के दो ऐसे संभ्रान्त व्यक्तियों, जो अभ्यर्थी के सम्बन्धी न हों, से सतचरित्रता का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
(iv)	स्वस्थता प्रमाण पत्र	प्रत्येक अभ्यर्थी, जो प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति हेतु उपयुक्त पाये गये हों, को सेवा में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व मानसिक एवं शारीरिक स्वस्थता का प्रमाण पत्र जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा किसी ऐसे चिकित्सा अधिकारी, जिसे कारपोरेशन ने इसके लिए प्राधिकृत किया हो, से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
(v)	वैवाहिक स्थिति	सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसे पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हों अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसके पहले से ही एक पत्नी हो, परन्तु यह कि निदेशक मण्डल ऐसे किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

नोट–केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र तथा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियन्त्रणाधीन किसी प्राधिकरण, निगम या निकाय द्वारा सेवा से पदच्युत (Dismissed) व्यक्ति/अभ्यर्थी किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नही होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए आरोपित दोष सिद्ध व्यक्ति/अभ्यर्थी भी पात्र नही होंगे।

पदवार अनिवार्य अर्हतायें एवं चयन प्रक्रिया

(1)- अपर निजी सचिव (पद कोड–25) एवं अपर निजी सचिव (पद कोड–25-D)(विभागीय):–

¤ अनिवार्य अर्हतायें :(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।

¤ चयन प्रक्रिया :

(क) लिखित एवं दक्षता परीक्षा : चयन लिखित, टंकण एवं आशुलिपि परीक्षा के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा (सी0बी0टी0) का प्रश्न पत्र दो भागों का होगा। प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दो भाषाओं में होगा।

प्रथम भाग :– (1) इस भाग में NIELIT के "O" स्तर का कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न–पत्र होगा, जिसमें 50 प्रश्न होगें। प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किये जायेंगे अर्थात 1/4 अंक की कटौती की जायेगी।

(2) कम्प्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में **कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य** होगा अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुये उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

(3) कम्प्यूटर ज्ञान के इस प्रथम भाग में प्राप्त किये गये अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जायेंगे।

द्वितीय भाग :– इस भाग में निम्नांकित पाठ्यक्रम से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, जिनके अधिकतम अंक सम्मुख अंकित हैं। प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिये ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किये जायेंगें अर्थात 1/4 अंक की कटौती की जायेगी।

पाठ्यक्रम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक
सामान्य अध्ययन	40	40
तार्किक ज्ञान	40	40
सामान्य हिन्दी (इण्टरमीडिएट उच्च स्तर)	60	60
सामान्य अंग्रेजी (इण्टरमीडिएट उच्च स्तर)	60	60
	कुल अंक	**200**

तृतीय भागः–

- उपरोक्त द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों की मेरिट के आधार पर हिन्दी आशुलेखन तथा हिन्दी व अंग्रेजी की टंकण परीक्षा हेतु आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण विद्युत सेवा आयोग द्वारा किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह होगा कि किन्ही भी परिस्थियों में आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों के सापेक्ष तीन गुने से कम नहीं होगी।
- **आशुलेखन एवं हिन्दी टंकण परीक्षा के मानक निम्नवत् होगें:–**

(1) आशुलेखन परीक्षा :– हिन्दी आशुलेखन परीक्षा के लिये दिये जाने वाले श्रुतलेख (Dictation) हेतु 5 मिनट का समय निर्धारित होगा। इस 5 मिनट की अवधि में दिये गये श्रुतलेख (Dictation) के कम्प्यूटर पर टंकण हेतु 30 मिनट का समय निर्धारित होगा और इस प्रकार इस 35 मिनट की अवधि में लिये गये श्रुतलेख एवं किये गये टंकण के आधार पर आशुलेखन गति का निर्धारण किया जायेगा।

(2) टंकण परीक्षा :– (i) **हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में** टंकण की परीक्षा ली जायेगी। हिन्दी टंकण की परीक्षा Kruti Dev 010 या 016 फॉन्ट में ली जायेगी।

(ii) टंकण हेतु अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर पर 5 मिनट की परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा जिसके आधार पर टंकण गति का निर्धारण किया जायेगा।

प्रतिबन्धः– चयन हेतु आशुलेखन में 80 **शब्द प्रति मिनट की गति एवं हिन्दी व अंग्रेजी टंकण में 40–40 शब्द प्रति मिनट की गति** प्राप्त करना अनिवार्य होगा अर्थात आशुलेखन एवं हिन्दी व अंग्रेजी टंकण हेतु निर्धारित इस गति को प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थी चयन प्रकिया से बाहर हो जायेंगे।

विशेषः– (1) उपरोक्तानुसार, निर्धारित प्रतिबन्धों एवं अर्हताओं के अधीन, द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित 200 अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थियों की अंतिम मेरिट लिस्ट बनाकर चयन की प्रकिया सम्पन्न की जायेगी।

(2) उपरोक्तानुसार निर्धारित 200 अंकों की परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक पाने की स्थिति में उस अभ्यर्थी का नाम ज्येष्ठता सूची में ऊपर रहेगा जिसकी उम्र अधिक होगी।

(3) परीक्षा प्रकिया से सम्बन्धित अन्य ऐसे बिन्दु जिनका विनियमावली में कोई उल्लेख नहीं है के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग को प्राप्त होगा।

(2) सहायक समीक्षा अधिकारी(पद कोड -16) :–

¤ अनिवार्य अर्हतायें :

(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि ।

(ख) कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में **न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति** अनिवार्य।

¤ चयन प्रक्रिया :

(क) लिखित एवं टंकण परीक्षा : लिखित परीक्षा (सी0बी0टी0) का प्रश्न पत्र दो भागों का होगा। प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दो भाषाओं में होगा।

प्रथम भाग :– (1) इस भाग में **NIELIT के "O" स्तर के** कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न होंगे व प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा। अर्थात यह परीक्षा 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किये जायेगें अर्थात 1/4 अंक की कटौती की जायेगी।

(2) कम्प्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में **कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य** होगा अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुये उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

(3) कम्प्यूटर ज्ञान के इस प्रथम भाग में प्राप्त किये गये अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जायेंगे।

द्वितीय भाग :– इस भाग में निम्नांकित पाठ्यक्रम से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, जिनके अंधिकतम अंक सम्मुख अंकित हैं। प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिये ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किये जायेगें अर्थात 1/4 अंक की कटौती की जायेगी।

पाठ्यक्रम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक
सामान्य अध्ययन एवं	20	20
तार्किक ज्ञान	40	40
सामान्य हिन्दी (इण्टरमीडिएट उच्च स्तर)	70	70
सामान्य अंग्रेजी (इण्टरमीडिएट उच्च स्तर)	70	70
	कुल अंक	**200**

तृतीय भागः–

- उपरोक्त द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों की मेरिट के आधार पर हिन्दी टंकण परीक्षा हेतु आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण विद्युत सेवा आयोग द्वारा किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह होगा कि किन्ही भी परिस्थियो में आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों के सापेक्ष तीन गुने से कम नहीं होगी।
- **टंकण हेतु** अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर पर 05 मिनट की परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा जिसके आधार पर टंकण गति का निर्धारण किया जायेगा।
- हिन्दी टंकण की परीक्षा Kruti Dev 010 या 016 फॉन्ट में ली जायेगी।
- चयन हेतु हिन्दी टंकण में **न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति** प्राप्त करना अनिवार्य होगा अर्थात हिन्दी टंकण हेतु निर्धारित इस गति को प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थी चयन प्रकिया से बाहर हो जायेंगे।

विशेषः– (1) उपरोक्तानुसार, निर्धारित प्रतिबन्धों एवं अर्हताओं के अधीन, द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित 200 अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थियों की अंतिम मेरिट लिस्ट बनाकर चयन की प्रकिया सम्पन्न की जायेगी।

(2) उपरोक्तानुसार निर्धारित 200 अंकों की परीक्षा में 2 या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक पाने की स्थिति में उस अभ्यर्थी का नाम ज्येष्ठता सूची में ऊपर रहेगा जिसकी उम्र अधिक होगी।

(3) परीक्षा प्रकिया से सम्बन्धित अन्य ऐसे बिन्दु जिनका विनियमावली में कोई उल्लेख नहीं है के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग को प्राप्त होगा।

(3)- अनिवार्य अर्हतायें सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतीकरण :–

अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में अस्थायी रुप से (provisionally) सम्मिलित किया जायगा। अभ्यर्थियों को मात्र लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से अर्हता साबित होने अथवा चयन का अधिकार स्वतः प्राप्त नही हो जायेगा।

(क) अभ्यर्थियों द्वारा अर्हता सम्बन्धी निर्धारित योग्यता प्रमाण पत्र/अंकपत्र/जाति प्रमाण पत्र/मूल निवास प्रमाण पत्र/भूतपूर्व सैनिक(यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा की हो) प्रमाण पत्र /आवेदित आरक्षण श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र इत्यादि (जो अप्रासंगिक हों उन्हें छोड़कर) की एक–एक स्वयं सत्यापित एवं हस्ताक्षरित छायाप्रति दक्षता परीक्षा के समय जमा करायी जायेगी। लिखित परीक्षा एवं दक्षता परीक्षा(टंकण/आशुलेखन) को उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के ही अर्हता सम्बन्धी सभी प्रमाण पत्रों की जॉच की जायेगी।

(ख) किसी भी प्रकार की गलत सूचना प्राप्त होने/देने पर, बिना सूचना के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थन निरस्त करने एवं चयन प्रक्रिया से वंचित करने का अधिकार सुरक्षित है।

(ग) किसी भी स्तर पर आवेदन में दी गयी सूचना में बदलाव (यथा नाम, जन्मतिथि, जाति श्रेणी आदि) नहीं किया जायेगा ।

(घ) अर्हता सम्बन्धी समस्त अभिलेखों की जॉच हेतु निर्धारित तिथि पर उपस्थिति होना अनिवार्य है, अन्यथा कि स्थिति में चयन प्रक्रिया अपूर्ण मानते हुए, अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा एवं कोई अन्य अवसर नहीं दिया जायेगा। अभिलेखों के जॉच के समय नवीनतम निवास प्रमाण पत्र (अप्रैल 2014 के पश्चात का)/अन्य पिछड़ा वर्ग (नान–क्रीमीलेयर) प्रमाण पत्र (अप्रैल 2017 के पश्चात का)/अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र (जिलाधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा जारी) प्रस्तुत करना होगा।

(4)आयु में अनुमन्य छूट : (क) अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमीलेयर) एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी के अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष छूट अनुमन्य होगी। (ख) भूतपूर्व सैनिक(यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं